न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 127/2017 **दायरा दिनांक : 01.08.2017**

उनवान

द्वारकी लाल पुत्र बद्री लाल, जाति धाकड, निवासी मेरमा तालाब, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— गोरधन पुत्र किशन लाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

2— घासी लाल पुत्र किशनलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

3— चन्द्रीबाई पुत्री किशनलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

4— रामपाल पुत्र किशनलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—

4/1— श्रीमती कंचन बाई पत्नी स्वर्गीय श्री रामपाल, आयु 60 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

4/2— महावीर पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल, आयु 40 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

4/3— गिर्राज प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल आयु 38 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारां

5— राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 42/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू में खाता संख्या 40 की खसरा नम्बर 307/1130 रकबा 0.92 हेक्टर प्रतिवादी नम्बर 1 किशनलाल के खाते में दर्ज है । खाता संख्या 244 की खसरा नम्बर 307/1131 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 947 रकबा 0.46 हेक्टर आराजी प्रतिवादी नम्बर 2 रामपाल के खाते में दर्ज है । जो पुराने खसरा नम्बर 275 का रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा से बनाया गया है । खसरा नम्बर 275 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी खाता सरकार दर्ज है । इस आराजी पर वादी का कब्जा सैटलमेंट से

पूर्व से चला आ रहा है । सैटलमेंट विभाग ने बिना किसी आधार के वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया है । उनके नाम कोई आवंटन नहीं है और न ही आराजी पर कब्जा है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर बाई आपरेशन आफ लॉ वादी खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली साक्ष्य वादी में जैरकार थी । आगामी दिनांक 20.04.2017 नियम की गई । दिनांक 20.04.2017 को कार्य स्थगित होने के कारण दिनांक 15.06.2017 की तिथि निर्धारित कीगई व उससे पूर्व ही लोक अदालत में दिनांक 25.05.2015 को पत्रावली रखी गई, जिसमें वादी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । प्रतिवादी क्रम 1 की उपस्थिति बताकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया है । सी पी सी की पालना नहीं की है । अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई । नकल विलम्ब से प्राप्त हुई है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाय चक है जो कभी भी रेस्पोडेंट को आवंटित नही हुई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांटगण का है । अपीलांटगण ने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की थी । अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आराजी का आवंटन रेस्पोडेंटगण को हुआ था और उन्हें खातेदारी अधिकार मिल चुकी है । रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जाति के सदस्य है । अपीलांट को इस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लागू नहीं होता है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसमें आगामी तारीख दिनांक 15.06.2017 दी गई थी इससे पूर्व लोक अदालत में दिनांक 25.05.2017 को दावा वादी खारिज किया गया है । दिनांक 25.05.2017 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1/1

उपस्थित हुए हैं इसमें वादी के उपस्थित होने का हवाला नहीं दिया गया है और न ही वादी के हस्ताक्षर कराये गये हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो उसके अभाव में सी पी सी की प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होंवे ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा